माननीय प्रधानमंत्री द्वारा PM-SURAJ पोर्टल के लांच करने के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया के संबोधन का प्रारूप

दिनांक 13 मार्च 2024, बुधवार	**समय : 9.25 AM**	**स्थान : सिलचर, असम**

नमस्कार!

"प्रधानमंत्री-सूरज" पोर्टल के लोकार्पण कार्यक्रम में आज यहां आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वास्तव में यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

"पीएम-सूरज" यानी "प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण योजना"। यह योजना "वंचितों को वरियता" देते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करता है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित वर्गों के लोगों एवं उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराकर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज "पीएम-सूरज" पोर्टल को लांच कर इस योजना की अधिकारिक रूप से शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से वंचित वर्ग के लोग सुगमता औऱ बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और प्रशासन को भी योजना के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि "पीएम-सूरज" योजना के तहत वंचित वर्गों के एक लाख से भी अधिक उद्यमियों को लगभग 660 करोड़ रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह ऋण सहायता लाभार्थियों को 3.5 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर ऋण सहायता प्राप्त हो सकेगी।

यह योजना भारत सरकार की सभी वर्गों को समान अवसर का अधिकार प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल "सबका साथ, सबका विकास" के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है ताकि भारत की समृद्धि और विकास यात्रा में कोई पीछे न छूट जाए। प्रभावी शासन और वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु इस दूरदर्शी पहल के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

देवियो और सज्जनो,

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सामाजिक न्याय और समावेशिता के माहौल को बढ़ावा देकर एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रही है, जहां प्रत्येक नागरिक देश के विकास में भाग ले सकता है।

भारत सरकार समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य नीतियों, कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला और पहल के माध्यम से समाज में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को मिटाना है। इसके लिए वंचित और पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उनके लिए शिक्षा से लेकर रोजगार तक के अवसरों में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत भारत सरकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातियों आदि के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक संसाधन की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रही है।

देवियो और सज्जनो,

पिछले दस वर्षों में विभाग ने समावेशिता को प्राथमिकता दी है। विभाग अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीच बेहतर शिक्षा की पहुंच के लिए उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। इसके अलावा वंचित एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं और उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। विभाग उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

विभाग पीएम-दक्ष (PM-Daksh) योजना के माध्यम से कुशल कार्यबल के विस्तार में भी जुटा हुआ है। यह "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सफाई कर्मचारी भी सबसे वंचित वर्गों मे से एक हैं। सरकार उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य कर रही है। सफाई कर्मचारियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें नमस्ते (NAMASTE) योजना के तहत 1 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं।

सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें पीपीई किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह सरकार की सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पिछले नौ वर्षों से अब तक वंचित वर्गों के 24,89,267 लोगों लगभग 11,437.39 करोड़ रुपए ऋण सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति के 44,500 लाभार्थियों के लिए 471.27 करोड़ रुपए, पिछड़ा वर्ग के 33090 लाभार्थियों के लिए 280.37 करोड़ और 17,792 सफाई कर्मचारियों के लिए 112 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

भारत सरकार महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए वंचित एवं पिछड़े वर्ग के समुदायों को रियायती ऋण प्रदान करके इनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में पीएम-सूरज योजना भी इनके आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार, सरकारी तंत्रों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन में सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसलिए मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं कि वे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें तथा उनका मार्गदर्शन करें।

मैं देश के सभी नागरिकों से भी आह्वान करता हूं कि वे भी अपने आस-पास के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित समुदायों के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सरकार का सहयोग करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें, जहां "सबका साथ और सबका विकास" हो।

अंत में मैं "पीएम-सूरज" योजना के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इस योजना की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।